

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 221

दिनांक 20/01/2023

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
केवलाराम वगैरा	बनाम	डूंगाराराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 92/2022

दिनांक : 17.01.2023

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा शिवपुरा के खेत खसरा सं. 198/129 रकबा 8.6926 हैक्टेयर, खसरा सं. 145 रकबा 7.7376 हैक्टेयर, खसरा सं. 142 रकबा 2.3957 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 222 to 225

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण केवलाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण डूंगरा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 20/01/2023

(भागीरथ चौहटन)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन अधिकारी  
चौहटन